फर्द अहकाम

रामगोपाल बनाम तहसीलदार

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

संख्या 107/2017

दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० (तहसीलदार) पैरो० सरकार उप०। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश नहीं सुनाया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 4/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	
4/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पैरो० उप०। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश सुनाया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादी का नाम गोपाल हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामगोपाल दर्ज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 107/2017

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 10/10/2017

निर्णय दिनांक : 4/12/2019

रामगोपाल पुत्र श्री धन्ना जाति बैरवा निवासी फरियादपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 4/12/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 26 के आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 1.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.4600 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर व खाता संख्या 27 के आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 2.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 4.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.0100 कुल किता 07 कुल रकबा 6.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम रेटा पटवार हल्का रसीली भू अभिलेख क्षेत्र मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है व खाता संख्या 21 के आराजी खसरा नम्बर 845 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 940/844 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 22 के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर वाके ग्राम फरियादपुरा पटवार हल्का डोगरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसका वादी मुताबिक जमाबंदी खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात वादी की पैतृक सम्पति रही है जो वादी को जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा तत्पश्चात विरासात नामांतकरण वादी को प्रेमवश गोपाल पुकारा जाने के कारण सहवन से रामगोपाल के बजाय गोपाल दर्ज कर दिया गया जो सहवन से त्रुटीवश दर्ज चला आ रहा है तथा समस्त वादी के दस्तावेजात में वादी का नाम रामगोपाल दर्ज है। उक्त त्रुटिवश वादी का नाम रामगोपाल के बजाय गोपाल दर्ज हो जाने से वादी को राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाले समस्त लाभ परिलाभो से वंचित होना पड रहा है। वादी के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजात में यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र में वादी का नाम रामगोपाल है जिस कारण भी वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गोपाल के बजाय रामगोपाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी ने किसान केडिट कार्ड हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले पटवार हल्का से प्राप्त करने पर अपने राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी के यहां दिनांक 20.09.2017 को सम्पर्क किया एवं त्रुटि बाबत अवगत कराया गया तो इंकार होकर न्यायालय में चाराजोही की हिदायत दी जिस कारण से श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखो की आराजीयात में वादी का नाम गोपाल को हजफ किया जाकर रामगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। इस हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 06/08/2019 को वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 पेश किया गया। न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित वाद–पत्र पेश किया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब

Scanned by CamScanner

पेश किया। वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 रामगोपाल, पी.डब्ल्यू 2 छीतरमल के शपथ–पत्र पेश हुये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर एकतरफा बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात जमाबन्दी खतौनी संख्या 21, 29, ग्राम फरियादपुरा, ग्राम रेटा, फोटो प्रति आधारकार्ड, फोटो प्रति राशनकार्ड, फोटो प्रति आधारकार्ड, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान एवं प्रतिवादी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 26, 27, 21 व 22 के अनुसार विवादित आराजी में खातेदार वादी का नाम अन्य खातेदार के साथ गोपाल पुत्र धन्ना दर्ज है, जबकि वादी ने अपने वाद–पत्र में अपना सही एवं वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र धन्ना होना अंकित करते हुये उसे दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाना चाहा हैं इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड व राशनकार्ड आदि सभी में वादी का नाम रामगोपाल ही दर्ज है, जिससे जिससे यह पाया जाता है कि वादी का वास्तविक नाम रामगोपाल ही है, लेकिन वरवक्त वादी की विरासत दर्ज करते समय वादी को घर पर कानाराम बोलने की वजह से वादी का बोलता नाम कानाराम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब में सम्पूर्ण विवेचन करते हुये अन्त में अंकित किया है कि "वादी का नाम गोपाल को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामगोपाल दर्ज करने पर राज्य हित प्रभावित नही होता हैं।" इस प्रकार तहसीलदार मौजमाबाद ने भी वादी के वाद की ताईद करते हुये डिक्री किये जाने बाबत अनुशंषा की हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 26 के आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 1.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.4600 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर व खाता संख्या 27 के आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 2.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 4.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.0100 कुल किता 07 कुल रकबा 6.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम रेटा पटवार हल्का रसीली भू अभिलेख क्षेत्र मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर एंव खाता संख्या 21 के आराजी खसरा नम्बर 845 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 940/844 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 22 के आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर वाके ग्राम फरियादपुरा पटवार हल्का डोगरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में दर्ज वादी का नाम गोपाल हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामगोपाल दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 5/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..2

डिग्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम दूदू (जयपुर)

श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.

गोपाल पुत्र श्री धन्ना बनाम हनुमानसहाय, तहसील मौजमाबाद

बैरवा नि. फरीदाबादपुरा बाबत धोखा व इन्तकाल रद्दगी

मौजमाबाद (जयपुर) मुकदमा नं. 107 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कन्हैयालाल माली

हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उप.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता सं० 26 के आराजी ख० न० 393 रकबा 1.0900 हैं० ख० न० 404 रकबा 0.4600 हैं० कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 हैं० व खाता सं० 27 के आराजी ख० न० 395 रकबा 0.9400 हैं०, ख० न० 397 रकबा 0.1900 हैं० ख० न० 398 रकबा 4.7400 हैं०, ख० न० 399 रकबा 0.1400 ख० न० 408 रकबा 0.0600 हैं० ख० न० 409 रकबा 0.2700 हैं० ख० न० 413 रकबा 0.0100 कुल किता 07 कुल रकबा 6.3500 हैं० वाके ग्राम रेह ... हल्का पटवार-आसलपुर सेत्रा मौजमाबाद तह० मौजमाबाद जिला-जयपुर एवं खाता सं० 21 के आराजी ख० न० 845 रकबा 0.2500 हैं०, ख० न० 940/845 रकबा 0.02

खर्चा इस मुकदमे के गय सूद तफसील फरीकैन ... आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4 माह 12 सन् 19 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुहर [stamp: सहायक कलक्टर]

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

कुल किता 02 कुल रकबा 0.2700 है० [illegible] रजिस्ट्री सं० 227 [illegible]
[illegible] गाटा सं० 161 रकबा 0.1700 है० [illegible] 162 रकबा 0.1000
है० [illegible] 164 रकबा 0.2200 है० [illegible] 174 रकबा 0.1400
कुल किता 04 कुल रकबा 1.1100 है० [illegible] 0.6200 है०
[illegible]
[illegible]
[illegible] किया जाता है।

[illegible]
[illegible]